उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-114 /2025/616/26-3-2025-1831927
लखनऊ दिनांकः 09 मई 2025

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश में विमुक्त जाति के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने एवं अनुमन्य सुविधाए प्रदान करने हेतु शासनादेश संख्या-97/2021/1898/26-3-2021, दिनांक 06.08.2021 द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 को निर्देश दिये गये हैं, जिसके क्रमांक-25 पर त्रुटिवश अहेरिया के स्थान पर अहरिया शब्द अंकित हो गया है।

2- अतः विमुक्त जाति के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने एवं अनुमन्य सुविधाए प्रदान करने विषयक शासनादेश संख्या-97/2021/1898/26-3-2021, दिनांक 06.08.2021 के क्रमांक-25 पर त्रुटिवश अंकित अहरिया शब्द को अहेरिया (Aheria) पढ़ा व समझा जाय।

3- प्रश्नगत शासनादेश को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4- उक्त शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

Digitally signed by
RAJANI KANT PANDEY
Date: 09-06-2025
15:39:45

भवदीय,
(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

पृ0सं0 (1)/26-3-2025-तददिनांक-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं प्रेषितः-

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, आयुक्त व सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0लखनऊ।
5- गार्ड फाइल।

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।